फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी— रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र— अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 119 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/11/19	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी सीताराम पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चाड़वास ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सुजानगढ ग्रामीण की अंतिम चोसला आधार संवत् 2076–79 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी में नया खाता खंख्या 52, पुराना खाता खंख्या 52 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सीताराम पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी सुजानगढ दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार वादी का नाम सीताराम पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सुजानगढ है। वादी का नाम सीताराम पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सुजानगढ किया जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत् 2076–79 में वादी का नाम सीताराम पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी सुजानगढ दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड व पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार वादी का सही नाम सीताराम पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सुजानगढ है। जो शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुजानगढ ग्रामीण तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी संवत 2076–79 नया खाता खंख्या 52, पुराना खाता खंख्या 52 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	2019 00239

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	सुजानगढ ग्रामीण	55	सीताराम पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी सुजानगढ खातेदार	सीताराम पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सुजानगढ खातेदार

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/11/19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2019.12.02 18:18:35 IST
Reason: SelfAttested